

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

क्रमांक एफ( )एफ.सी.ए./उवस/17-18/ १०१७

दिनांक :- २५/४/१८

निमित्त :-

अधिशासी अभियंता सा.नि.वि.  
खण्ड छबडा।

विषय :- सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में कमियों की पूर्ति बाबत।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर के प्रासंगिक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके द्वारा कोटा से धरनावदा सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Road/6979/2014 कुल 13.558 है। के लिए जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में पाई गई कमियों की पूर्ति करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः पूर्ति कर तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का कष्ट करें।

1. बिन्दु संख्या 4 जिला कलेक्टर द्वारा जारी वनाधिकार प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड किये गये हैं किन्तु हार्ड प्रति (मूल प्रति) अभी भी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. बिन्दु संख्या 5 प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के KML FILE & DGPS MAP सही नहीं हैं संशोधित प्रस्तुत किये जाने प्रस्तावित है।
3. बिन्दु संख्या 7 पार्ट ॥ के बिन्दु संख्या 16 में से पुराने दस्तावेजों को नहीं हटाया गया है। जो हटाया जाना प्रस्तावित है।
4. प्रस्ताव में चाही गई सूचना का दो सैट हार्ड प्रति (एक मूल प्रति) के चाहे गये थे जो अपेक्षित हैं इनमें एक सैट प्रतियो के साथ एवं एक सैट फोटो प्रति जिसमें सभी दस्तावेजों पर यूजर ऐजेन्सी (वन विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों के अतिरिक्त) एवं उप वन संरक्षक, (वन विभाग द्वारा जारी एवं एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट समस्त नक्शे, जमाबन्दी राजस्व मेप आदि) पर हस्ताक्षर मय नाम, पदनाम एवं दिनांक सहित मुहर लगाया जाना प्रस्तावित है। अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है।
5. प्रस्ताव में अधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई सूचना को मूल दस्तावेज से जिसमें अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय नाम, पदनाम एवं दिनांक अंकित हो से अपलोड किया जाना प्रस्तावित है। अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है।
6. प्रस्ताव में एम.ओ.ई.एफ. लखनऊ द्वारा उनके पत्राक दिनांक 18.09.2015 से चाही गई सूचनाएं अपूर्ण भिजवाई गई हैं। अतः अविलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।

  
उप वन संरक्षक  
बारां

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर।

F 14( )2014/FCA/PCCF/CCF EDS-II Dated 12.7.2017

मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्ताव (कोटा से घरनावदा सङ्क निर्माण कार्य ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Road/6979/2014) में सशोधन कर प्रस्ताव ऑनलाइन पुनः प्रस्तुत किया गया है ऑनलाइन प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है।

1. विन्दु संख्या 1 - क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण स्थल की KML File अपलोड की गई है किन्तु सलग्न फाइल से यह मालूम नहीं होता है कि प्रस्ताव में गेर वन भूमि कहीं मिली है। क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण स्थल उपर्युक्तता प्रमाण पत्र (स्थल पर कोई अतिक्रमण नहीं होना एवं सभी विवादों से मुक्त होना) सलग्न नहीं किया गया है।
2. विन्दु संख्या 2 - क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना 166/- प्रति मानव दिवस के आधार पर प्रस्तुत की गई है जबकि अमिक दर 201/- प्रति मानव दिवस ही चुकी है तदमुसार साशोधित विस्तृत क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
3. विन्दु संख्या 4 - जिला कलेक्टर द्वारा जारी वनाधिकार प्रगाण पत्र ऑनलाइन अपलोड किये गये हैं किन्तु हार्ड प्रति (मूल प्रति) अभी भी प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. विन्दु संख्या 5 - प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के KML File & DGPS map सही नहीं है साशोधित प्रस्तुत किये जाने प्रस्तावित है।
5. विन्दु संख्या 6 - MOEF & CC Lucknow द्वारा संशोधित ठेकदार/अभियता के लिए एफ0आई0आर0 की प्रति एवं डेमेज रिपोर्ट चाही गई थी जो तक अप्राप्त है।
6. विन्दु संख्या 7 - पार्ट 11 के विन्दु संख्या 16 में से पुराने दस्तावेजों को नहीं हटाया गया है। जो हटाया जाना प्रस्तावित है।
7. प्रस्ताव में दो सेट हार्ड प्रति के बाहे गये थे जो अपेक्षित हैं इनमें से एक सेट मूल प्रतियों के साथ एवं एक सेट फाटो प्रति जिसमें सभी दस्तावेजों पर यूजर ऐजेन्सी (वन विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों के अतिरिक्त), एवं उप वन संरक्षक (वन विभाग द्वारा जारी एवं एसिया केलकुलशन रिपोर्ट समस्त नवार्दी जमावदी राजस्व में प्राप्त आदि) पर हस्ताक्षर मय नाम पदनाम एवं दिनांक सहित मुहर लगाया जाना प्रस्तावित है।
8. प्रस्ताव में अधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई सूचना को मूल दस्तावेज से जिसमें अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय नाम पदनाम एवं दिनांक अकिञ्च हो से अपलोड किया जाना प्रस्तावित है। अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है।
9. प्रस्ताव में एम0आई0एफ लखनऊ द्वारा उनके पत्राक दिनांक 18.9.2015 से चाही गई सूचना 2 पर्यंत उपरात भी अपूर्ण निजवाह है। अतः विलम्ब का कारण त्पाट किया जाना प्रस्तावित है।
10. प्रस्ताव में उप वन संरक्षक बारं यह सुनिश्चित कर लें कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन हुआ अथवा नहीं। इस हेतु ट्यूटर रिपोर्ट भिजाना।

उपरोक्त विन्दुओं की सूचना अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटा को मिजवाया जाना प्रस्तावित है। अतः सूचना मय हार्ड प्रति के मिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

  
(P.C. KUMAWAT)  
DCF (FCA)  
JAIPUR